बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम

/

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। (2020 की सिविल अपील संख्या 2175) 17 मार्च, 2020

/

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

सीमा अधिनियम, 1963-कला।136 और 137-भारत में एक विदेशी न्यायालय (एक पारस्परिक देश से) द्वारा पारित एक डिक्री का निष्पादन-के लिए सीमा की अवधि-आयोजितःभारत में एक विदेशी न्यायालय (एक पारस्परिक देश से) द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने के लिए सीमा अवधि पारस्परिक विदेशी देश में निर्धारित सीमा होगी-हालाँकि, यह डिक्री के निष्पादन योग्य होने के अधीन होगी।13 सी. पी. सी.

/

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -धारा 44 क-सीमा अधिनियम, 1963 -s.44A विदेशी डिक्री को निष्पादित करने के लिए सीमा की अवधि को इंगित करता है या नहीं-आयोजितःs.44A केवल जिला न्यायालय को विदेशी डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार देता है जैसे कि यह उक्त जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो -s.44A जिला न्यायालय को डिक्री को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है और आगे यह प्रावधान करता है कि जिला न्यायालय उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो वह एक भारतीय डिक्री को निष्पादित करते समय करता है, लेकिन यह ऐसी निष्पादन याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित या इंगित नहीं करता है।

/

/

सीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 137-किस तारीख से सीमा की अवधि भारत में निष्पादित किए जाने के लिए मांगी गई विदेशी डिक्री (एक पारस्परिक देश में पारित) के संबंध में चलती है-आयोजित:सीमा की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब एक पारस्परिक देश के विदेशी न्यायालय में डिक्री पारित की गई थी-हालाँकि, यदि डिक्री धारक पहले उस देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम उठाता है जिसमें डिक्री जारी की गई थी, और डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है, तो वह उस देश में निष्पादन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के 3 साल की अवधि के भीतर भारत में निष्पादन के लिए याचिका दायर कर सकता है।

/

/

/

492 ए.

493

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:क्या धारा **44** ए केवल विदेशी फरमानों के निष्पादन के तरीके का प्रावधान करती है या क्या यह उसी के लिए निष्पादन कार्यवाही दायर करने के लिए सीमा की अवधि का भी संकेत देती है?**1.** इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908** की धारा **44** ए केवल एक सक्षम प्रावधान है जो जिला न्यायालय को डिक्री को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है जैसे कि डिक्री किसी भारतीय न्यायालय द्वारा पारित की गई हो और यह सीमा की अवधि से संबंधित नहीं है।धारा **44** ए का एक सादा पाठ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह केवल जिला न्यायालय को विदेशी डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार देता है जैसे कि इसे उक्त जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।इसमें यह भी प्रावधान है कि अधिनियम की धारा **47,** डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की तारीख से लागू होगी।धारा **47** एक डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है।डिक्री का निष्पादन सी. पी. सी. के आदेश **21** के अंतर्गत नियंत्रित होता है और इसलिए, अधिनियम की धारा **47** और सी. पी. सी. के आदेश **21** के प्रावधान लागू होंगे।इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, धारा **44** ए का सीमा से कोई लेना-देना नहीं है।**[**पैरा **19] [503-**सी-ई**]**

/

/

/

2. धारा **44**-ए स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि प्रमाणित प्रति और प्रमाण पत्र दाखिल करने के बाद ही धारा **47** सी. पी. सी. का प्रावधान लागू होगा।यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह धारा केवल जिला न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है।[पैरा **20**] **[503**-एफ]

/

3. इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए धारा **44** ए केवल जिला न्यायालय को डिक्री को निष्पादित करने में सक्षम बनाती है और आगे यह प्रावधान करती है कि जिला न्यायालय उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो वह भारतीय डिक्री को निष्पादित करते समय करता है, लेकिन यह ऐसी निष्पादन याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित या इंगित नहीं करता है।[पैरा **21**] **[504**-ए-बी]

/

भारत में एक विदेशी न्यायालय (एक पारस्परिक देश से) द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने के लिए सीमा की अवधि क्या है**?4.** सामान्य विधि के अंतर्गत पुरानी स्थिति यह थी कि सीमा को एक प्रक्रियात्मक विधि के रूप में माना जाता था।नागरिक अधिकार क्षेत्र का पालन करने वाले देशों में, सीमा विधि को कभी भी एक प्रक्रियात्मक विधि के रूप में नहीं बल्कि एक मूल विधि के रूप में माना गया है।हाल के वर्षों में, लगभग सभी सामान्य विधि वाले देश या तो एक नया विधि लाए हैं

/

/

/

या न्यायिक निर्णयों द्वारा अब यह विचार लिया गया है कि सीमा के विधि को विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक विधि के रूप में नहीं माना जा सकता है।यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि का संदर्भ दिया जा सकता है।[पैरा **31**] **[509**-ई-एफ]

5. दुनिया भर में यह विचार प्रतीत होता है कि कारण देश के सीमा विधि को मंच देश में भी लागू किया जाना चाहिए।इसके अलावा, इस न्यायालय का विचार है कि उन मामलों में जहां कारण देश में उपचार समाप्त हो जाता है, यह डिक्री-धारक के डिक्री को निष्पादित करने के अधिकार को वस्तुतः समाप्त कर देता है और डिक्री के निष्पादन को चुनौती देने के लिए निर्णय देनदार में एक संबंधित अधिकार पैदा करता है।ये मूल अधिकार हैं और इन्हें प्रक्रियात्मक नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी बन गया है, यह उन कुछ देशों में से एक नहीं हो सकता है जहां सीमा के विधि को पूरी तरह से प्रक्रियात्मक माना जाता है।[पैरा **33**] **[511**-सी]

/

/

6. यह पहले से ही स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि यदि किसी मंच देश का विधि किसी विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए निर्धारित सीमा के संबंध में चुप है तो कारण देश की सीमा लागू होगी। [पैरा **34**] [**511**-डी]

/

7. यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रश्न का उत्तर देता है कि भारत में एक विदेशी न्यायालय (पारस्परिक देश से) द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने के लिए सीमा अवधि पारस्परिक विदेशी देश में निर्धारित सीमा होगी।जाहिर है कि यह सी. पी. सी. की धारा **13** के संदर्भ में निष्पादन योग्य डिक्री के अधीन होगा। [पैरा **35**] [**511**-ई]

/

किस तारीख से सीमा की अवधि भारत में निष्पादित किए जाने के लिए एक विदेशी डिक्री (एक पारस्परिक देश में पारित) के संबंध में चलती है?

/

8. फिर प्रश्न यह उठता है कि सीमा किस तारीख से शुरू होती है।यह न्यायालय केवल **2** स्थितियों की परिकल्पना करता है।पहली स्थिति वह है जहां डिक्री धारक उस देश में डिक्री के निष्पादन के लिए कारण देश में निर्धारित सीमा की अवधि के दौरान डिक्री के निष्पादन के लिए कोई कदम नहीं उठाता है।ऐसे मामले में उसने उस देश में डिक्री को निष्पादित करने का अपना अधिकार खो दिया है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।यह न्याय का उपहास होगा यदि कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने का अपना अधिकार खोने वाले व्यक्ति को डिक्री ए को निष्पादित करने की अनुमति दी जाती है।

/

/

495

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड।

एक मंच देश में।यह उस सिद्धांत के खिलाफ होगा जिसे हमने स्वीकार किया है, कि सीमा का विधि केवल एक प्रक्रियात्मक विधि नहीं है।इसका मतलब यह होगा कि एक व्यक्ति जिसने न्यायालय में विदेशी डिक्री को निष्पादित करने का अपना अधिकार या उपाय खो दिया है, जहां डिक्री पारित की गई थी, वह सीमा की अवधि बढ़ाने के लिए भारतीय विधि के प्रावधानों का लाभ उठा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, भारत में धन डिक्री को निष्पादित करने की सीमा **12** वर्ष है जबकि

इंग्लैंड में यह **6** वर्ष है।ऐसे देश हो सकते हैं जहां इस तरह के आदेश को लागू करने की सीमा **12** साल से अधिक हो सकती है।बाद की स्थिति में वादी का अधिकार **12** साल में समाप्त नहीं होगा और यह उस कारण देश के सीमा विधि का पालन करेगा जिसने डिक्री पारित की थी।इसलिए, कारण देश में डिक्री पारित होने की तारीख से सीमा लागू होनी शुरू हो जाएगी और मंच देश में निर्धारित सीमा की अवधि लागू नहीं होगी।यदि डिक्री धारक कारण के देश में निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है, तो वह मंच देश में नहीं आ सकता है और कार्रवाई के नए कारण का अनुरोध नहीं कर सकता है या अनुरोध नहीं कर सकता है कि मंच देश की सीमा लागू होनी चाहिए।[पैरा **40**] [**513**-एच; **514**-ए-ई]

/

/

/

9. दूसरी स्थिति तब होती है जब एक डिक्री धारक कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम उठाता है।निष्पादन की कार्यवाही कुछ समय के लिए चल सकती है, और डिक्री को आंशिक रूप से संतुष्ट किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं।निर्णय देनदार के पास डिक्री आदि को संतुष्ट करने के लिए कारण देश में पर्याप्त संपत्ति या धन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा?इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, ऐसी परिस्थितियों में धारा **44** ए के अंतर्गत आवेदन करने का अधिकार केवल कारण देश में निष्पादन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के बाद प्राप्त होगा और सीपीसी की धारा **44** ए के अंतर्गत आवेदन अधिनियम के अनुच्छेद **137** द्वारा निर्धारित कारण देश में निष्पादन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के **3** साल के भीतर दायर किया जा सकता है। डिक्री धारक को **3** साल की इस अवधि के भीतर डिक्री की प्रमाणित प्रति और आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ भारतीय अदालत से संपर्क करना चाहिए।यह स्पष्ट किया जाता है कि डिक्री की प्रमाणित प्रति या आंशिक संतुष्टि के प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के लिए कारण देश में आवेदन करना, जैसा कि धारा **44** ए द्वारा आवश्यक है, कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम उठाने के समान नहीं होगा।[पारस **41,42**] [**514**-एफ-एच; **515**-ए]

/

/

/

/

/

10. यह न्यायालय तदनुसार तीसरे प्रश्न का उत्तर देता है और यह अभिनिर्धारित करता है कि सीमा की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब एक पारस्परिक देश के विदेशी न्यायालय में डिक्री पारित की गई थी।हालाँकि, यदि डिक्री धारक पहले कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम उठाता है, और डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है, तो वह अंतिम रूप देने से **3** साल की अवधि के भीतर भारत में निष्पादन के लिए याचिका दायर कर सकता है।[पैरा **43] [515-**बी]

/

आयकर आयुक्त बनाम एस. तेजा सिंह ए. आई. आर **1959**

एससी **352:[1959]** पूरक।एस. सी. आर. **394-**संदर्भित।

लखपत राय शर्मा बनाम आत्मा सिंह ए. आई. आर. **(58) 1971** पी एंड एच **476;** उथमराम बनाम के. एम. अब्दुल कासिम कं. (आकाशवाणी)

/

1964) (मैड **221)-**संदर्भित।

शेख अली बनाम शेख मोहम्मद एयर **1967** मैड **45**

– स्वीकृत नहीं है।

/

ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कं. लिमिटेड बनामफिनसबरी ब्रो

परिषद 1951 (2) सभी ई. आर. 587-निर्दिष्ट।

सर लॉरेंस कॉलिन्स आदि।अल।, "डाइसी, मॉरिस और कॉलिन्स

कानून के टकराव पर, **14** वीं संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल पीपी. **198-199 (2006)-**संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[1959] पूरक।पैरा **18** में निर्दिष्ट एस. सी. आर. **394**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2020 की सिविल अपील संख्या 2175।

/

2013 की सिविल संशोधन याचिका No.433 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.11.2014 के निर्णय और आदेश से।के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., सुश्री प्रवीणा गौतम, दीपक

त्यागी, पवन शुक्ला, अंकुर तलवार, राजा राम, सुश्री स्वीटी पांडे, साई अनुकरन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

/

वी. वी. एस. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. भरत कुमार, ताडीमल्ला भास्कर गौतम, अमन शुक्ला, सिद्धार्थ सिन्हा, विशाल अरुण, रघु वामसी डी. वी., अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

497

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता, जे।

1. अनुमति दी गई।

2. "भारत में एक पारस्परिक देश के विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन दायर करने की सीमा क्या है?" यह छोटा लेकिन दिलचस्प प्रश्न है जो इस मामले में निर्णय के लिए उत्पन्न होता है।

/

3. प्रत्यर्थी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पूर्ववर्ती वैश्य बैंक ने अपने ग्राहक मेसर्स आदित्य स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से मेसर्स ग्रेनाडा वर्ल्डवाइड इन्वेस्टमेंट कंपनी, लंदन के पक्ष में यूएस $1,794,258 के लिए ऋण पत्र जारी किया।अपीलार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा उक्त ऋण पत्र की पुष्टि करने वाला बैंक था।वैश्य बैंक ने अपीलार्थी की लंदन शाखा को 12.10.1992 पर ऋण पत्र का सम्मान करने के निर्देश जारी किए।इस निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अपीलार्थी की लंदन शाखा ने 1,742 अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए ऋण पत्र पर छूट दी और इस राशि का भुगतान मैसर्स ग्रेनाडा वर्ल्डवाइड इन्वेस्टमेंट कंपनी को 13.10.1992 पर किया गया।

/

/

4. अपीलकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा ने लंदन में 19.04.1993 पर अपने बकाया की वसूली के लिए वैश्य बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया।यह मुकदमा उच्च न्यायालय , क्वींस बेंच, लंदन के डिवीजनल कमर्शियल कोर्ट (इसके बाद 'लंदन कोर्ट' के रूप में संदर्भित) द्वारा 20.02.1995 पर फैसला सुनाया गया था और उस पर ब्याज के साथ US $1,267,909.26 के लिए एक डिक्री अपीलार्थी बैंक के पक्ष

में और वैश्य बैंक के खिलाफ पारित की गई थी।इस फरमान को चुनौती नहीं दी गई और यह अंतिम हो गया।

/

5. ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश की संतुष्टि के संबंध में दोनों बैंकों के बीच कुछ बातचीत हुई। 28.08.1995 पर, वैश्य बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में अमेरिकी डॉलर 1,400,000 की अंतर-बैंक जमा राशि को एक अनुरोध के साथ रोलओवर के आधार पर रखा कि लंदन न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित नहीं किया जाए।हालाँकि, बाद में 2003 में आई. एन. जी. वैश्य बैंक ने अमेरिकी डॉलर 1,400,000 की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) के समक्ष एक याचिका दायर की।उन कार्यवाहियों को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चुनौती दी जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाहियां अभी भी लंबित हैं और हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अपील में हमारे द्वारा कही गई कोई भी बात उन कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हम केवल एक पारस्परिक देश के विदेशी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन याचिका दायर करने के लिए सीमा के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

/

/

/

6. आई. डी. 1,43,88, आई. डी. 3 की वसूली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) के आदेश 21 नियम 3 के साथ पठित धारा 44 ए के संदर्भ में उसी के निष्पादन के लिए लंदन न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किए जाने के लगभग 14 साल बाद अपीलकर्ता बैंक ने आई. डी. 2 पर एक निष्पादन याचिका दायर की।इस निष्पादन याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसे सीमा की अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था।एडीशनल सिटी सिविल एंड सेशन जज, बैंगलोर ने फांसी की याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि यह मानते हुए कि सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 136 (संक्षेप में 'अधिनियम') लागू होता है और फांसी की याचिका लंदन न्यायालय द्वारा डिक्री पारित होने के 12 साल के भीतर दायर की जानी चाहिए थी।इससे व्यथित होकर, बैंक ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने 13.11.2014 दिनांकित निर्णय के माध्यम से निचली विचारण न्यायालय के विचार को बरकरार रखा।7. एस. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल ने आग्रह किया कि अधिनियम एक पारस्परिक देश

में पारित विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए किसी भी सीमा की अवधि निर्धारित नहीं करता है।वह प्रस्तुत करता है कि ऐसी स्थिति में विलंब और विलंब के सिद्धांत जो रिट कार्यवाही पर लागू होते हैं, लागू हो सकते हैं और इसलिए, उसने यह दिखाने के लिए तारीखों की एक लंबी सूची पर भरोसा किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा मामले का पीछा कर रहा था और वैश्य बैंक के साथ मामले को निपटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और आग्रह करता है कि याचिका दायर करने में कोई देरी नहीं है।उनका दूसरा निवेदन यह है कि चूंकि अधिनियम के अंतर्गत कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है, इसलिए निष्पादन याचिका दायर करने का कारण केवल तभी उत्पन्न होता है जब सी. पी. सी. की धारा 44 ए के अंतर्गत एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें प्रावधान है कि एक पारस्परिक देश में एक न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को भारतीय डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, अधिनियम के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत प्रदान की गई 12 साल की सीमा केवल उस तारीख से लागू होती है क्योंकि वह वह तारीख है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है और डिक्री को भारतीय डिक्री माना जाता है।8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री वी. वी. एस. राव ने आग्रह किया कि इस मामले में इंग्लैंड का सीमा विधि लागू होगा।यह निर्विवाद है कि अंग्रेजी विधि के अनुसार डिक्री के निष्पादन के लिए सीमा अवधि 6 साल है, और इसलिए प्रतिवादी का निवेदन है कि डिक्री 20.02.1995 पर पारित की गई है, उस डिक्री के निष्पादन के लिए कोई याचिका 20.02.2001 के बाद दायर नहीं की जा सकती है।प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का वैकल्पिक तर्क यह है कि भले ही भारतीय सीमा विधि लागू होना था, विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए सीमा अवधि अधिनियम के अनुच्छेद 136 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सी. पी. सी. की धारा 44 ए स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि एक पारस्परिक देश में पारित डिक्री को ए के रूप में माना जाना चाहिए।

/

/

/

/

/

/

/

/

भारतीय डिक्री और इसलिए, इसे अधिनियम के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदान किए गए डिक्री के पारित होने की तारीख से 12 साल के भीतर लागू किया जाना चाहिए।

9. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों की सराहना करने के लिए, सी. पी. सी. की धारा 44 ए का उल्लेख करना आवश्यक होगा जो इस प्रकार हैः

/

" 44A. न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का निष्पादन

पारस्परिक क्षेत्र।– (1) जहाँ किसी पारस्परिक क्षेत्र के किसी भी उच्च न्यायालय की डिक्री की प्रमाणित प्रति जिला न्यायालय में दायर की गई है, वहाँ डिक्री का निष्पादन इस तरह किया जा सकता है जैसे कि इसे जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।

/

(2) डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ ऐसे उच्च न्यायालय से एक प्रमाण पत्र दाखिल किया जाएगा जिसमें कहा गया है कि डिक्री किस हद तक संतुष्ट या समायोजित की गई है और ऐसा प्रमाण पत्र, इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, इस तरह की संतुष्टि या समायोजन की सीमा का निर्णायक प्रमाण होगा।(3) धारा 47 के प्रावधान डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से इस धारा के अंतर्गत डिक्री निष्पादित करने वाले जिला न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होंगे, और जिला न्यायालय ऐसी किसी डिक्री के निष्पादन से इनकार कर देगा, अगर यह न्यायालय के समाधान के लिए दिखाया जाता है कि डिक्री धारा 13 के खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी अपवाद के भीतर आती है।

/

/

स्पष्टीकरण 1.- ""परस्पर विरोधी क्षेत्र" से भारत के बाहर कोई भी देश या क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक पारस्परिक क्षेत्र घोषित कर सकती है; और "वरिष्ठ न्यायालय", ऐसे किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में, ऐसे न्यायालयों का अर्थ है जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं।

/

स्पष्टीकरण 2.- "किसी उच्चतर न्यायालय के संबंध में "डिक्री" का अर्थ है ऐसे न्यायालय की कोई डिक्री या निर्णय जिसके अंतर्गत धन की राशि देय है, जो करों या समान प्रकृति के अन्य शुल्कों के संबंध में या जुर्माने या अन्य दंड के संबंध में देय राशि नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में मध्यस्थता पुरस्कार शामिल नहीं होगा, भले ही ऐसा पुरस्कार डिक्री या निर्णय के रूप में प्रवर्तनीय हो। "

/

10. शुरुआत में, हम ध्यान दे सकते हैं कि उपरोक्त खंड को सी. पी. सी. में वर्ष 1937 में जोड़ा गया था।इससे पहले, किसी विदेशी देश में किसी भी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को भारत में निष्पादित नहीं किया जा सकता था और केवल

/

500

/

[2020] 5 एस सी आर।

मुकदमा विदेशी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर दायर किया जा सकता है।धारा 44 ए ने पारस्परिक देशों के संबंध में विधि में बदलाव लाया जो एक-दूसरे की अदालतों में पारित निर्णयों और फरमानों का सम्मान करने के लिए सहमत हुए।सी. पी. सी. की धारा 44 ए के खाली पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह केवल धन संबंधी फरमानों पर लागू होता है और अन्य फरमानों पर नहीं।11. हमारे सामने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

/

(i) क्या धारा 44 ए केवल विदेशी फरमानों के निष्पादन के तरीके का प्रावधान करती है या क्या यह उसी के लिए निष्पादन कार्यवाही दायर करने के लिए सीमा की अवधि का भी संकेत देती है?((ii) भारत में विदेशी न्यायालय (पारस्परिक देश से) द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने के लिए सीमा की अवधि क्या है?((ग) भारत में निष्पादित किए जाने के लिए मांगी गई विदेशी डिक्री (पारस्परिक देश में पारित) के संबंध में सीमा की अवधि किस तारीख से चलती है?

/

/

प्रश्न संख्या 1

12. ऊपर की धारा 44 ए के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलता है कि पारस्परिक क्षेत्र के किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को भारत में निष्पादित किया जा सकता है जैसे कि इसे उस जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो जिसके समक्ष इसे दायर किया गया हो।धारा 44 ए की उप-धारा (2) इस तरह का आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति पर डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करने का दायित्व डालती है।ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय से एक प्रमाण पत्र भी दाखिल करना चाहिए जिसने डिक्री को पारित किया है जिसमें कहा गया है कि डिक्री किस हद तक, यदि कोई हो, संतुष्ट या समायोजित की गई है।यह प्रमाण पत्र इस तरह की संतुष्टि/समायोजन की सीमा का निर्णायक प्रमाण होगा।उप-धारा (3) में प्रावधान है कि डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की

तारीख से, सी. पी. सी. की धारा 47 के प्रावधान ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।जिला न्यायालय ऐसी किसी भी डिक्री को निष्पादित करने से इनकार कर सकता है यदि यह धारा 13 के अपवाद (ए) से (एफ) के भीतर आता है।पहला स्पष्टीकरण पारस्परिक क्षेत्र और उच्च न्यायालयों की परिभाषा प्रदान करता है।स्पष्टीकरण 2 महत्वपूर्ण है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि एक डिक्री एक डिक्री होनी चाहिए जिसके अंतर्गत कुछ राशियों जैसे कि करों, जुर्माने, दंड आदि को छोड़कर धन की राशि देय है और इसमें विदेशी न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार भी शामिल नहीं हैं।

/

/

/

13. शुरुआत में, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि हम श्री के. के. वेणुगोपाल की इस दलील से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं कि ए की कोई सीमा नहीं है।

/

लागू होता है।ये रिट कार्यवाही नहीं हैं बल्कि निष्पादन कार्यवाही हैं।अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और धारा 3 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि अधिनियम की धारा 4 से धारा 24 में निहित प्रावधानों के अधीन, निर्धारित अवधि के बाद स्थापित प्रत्येक वाद, अपील को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, भले ही सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया हो।प्रयुक्त 'आवेदन' शब्द इतना व्यापक है कि इसमें एक डिक्री के निष्पादन के लिए दायर आवेदन, यहां तक कि एक विदेशी डिक्री भी शामिल है।इसलिए, विलंब और विलंब के सिद्धांत जो रिट कार्यवाही पर लागू हो सकते हैं, दीवानी कार्यवाही पर लागू नहीं किए जा सकते हैं और सी. पी. सी. के अंतर्गत दायर कार्यवाही में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं, जो हमारी राय में, सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किए जाने चाहिए।

/

/

14. श्री के. के. वेणुगोपाल का मुख्य तर्क है कि धारा 44 ए के अंतर्गत याचिका दायर होने के बाद ही सीमा शुरू होगी।उनके अनुसार, भारत में डिक्री को लागू करने का कारण धारा 44 ए के अंतर्गत आवेदन दायर होने के बाद ही उत्पन्न होता है।यह विचार मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा

शेख अली बनाम शेख मोहम्मद 1 के मामले में भी लिया गया है।हालाँकि यह दृष्टिकोण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लखपत राय में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है।

/

शर्मा बनाम आत्मा सिंह 2.

15. हमने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और शुरुआत में हम यह नोट कर सकते हैं कि जहां तक निष्पादन याचिका का संबंध है, कार्रवाई के कारण की कोई अवधारणा नहीं है।कार्रवाई का कारण दीवानी मुकदमों से संबंधित एक अवधारणा है न कि निष्पादन याचिकाओं से।कार्रवाई का कारण और कुछ नहीं बल्कि तथ्यों का एक समूह है जो वादी को मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाने वाले कानूनी अधिकार को जन्म देता है।दूसरी ओर, एक डिक्री एक तर्कपूर्ण निर्णय के आधार पर एक न्यायालय द्वारा पहले से ही किया गया एक निर्धारण है।डिक्री के मामले में यह उस दिन लागू हो जाता है जिस दिन इसे पारित किया जाता है।इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि धारा 44 ए के अंतर्गत आवेदन दायर करने से डिक्री को लागू करने के लिए एक नई अवधि नहीं बनेगी।

/

/

16. हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय के उद्देश्य के लिए हमने "कारण देश" अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है, जिसका अर्थ होगा वह देश जिसमें डिक्री जारी की गई थी (इस मामले में इंग्लैंड), और "मंच देश" जिसका अर्थ होगा वह देश जिसमें डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई है (इस मामले में भारत)।

/

17. यदि हम श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा आग्रह किए गए विचार को स्वीकार करते हैं, कि जिस तारीख से सीमा पर विचार किया जाएगा, वह तारीख होगी

1 एयर 1967 मैड 45

/

2 आकाशवाणी (58) 1971 पी एंड एच 476

डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से हास्यास्पद परिणाम निकलेंगे।वर्तमान मामले का उदाहरण लेते हुए, यूनाइटेड किंगडम में एक डिक्री को निष्पादित करने की सीमा 6 साल है।हालाँकि, भारत में यह 12 साल है।डिक्री पारित होने की तारीख को लागू करने योग्य हो जाती है और इसलिए, यदि कारण देश का विधि लागू होता है, तो सीमा 6 साल होगी और यदि मंच देश का विधि लागू होता है, तो यह 12 साल होगी।यदि आग्रह किया गया विचार स्वीकार कर लिया जाता है तो डिक्री धारक 100 वर्षों तक चुप रह सकता है और उसके बाद, डिक्री और प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति दाखिल कर सकता है और फिर दावा कर सकता है कि डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है।यह न केवल कारण देश बल्कि मंच देश की कानूनी प्रक्रिया का भी मजाक बनाएगा।डिक्री धारक की पसंद पर सीमा की घड़ी को 100 साल के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता है।इसलिए हम इस तर्क को खारिज करते हैं।

/

/

18. अपीलार्थी की ओर से मुख्य तर्क यह है कि धारा 44 ए की उप-धारा (1) एक ऐसा उपबंध है जिसमें यह प्रावधान है कि डिक्री का निष्पादन इस तरह किया जाएगा जैसे कि इसे किसी भारतीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।यह आग्रह किया जाता है कि इस माने जाने वाले प्रावधान को इसका पूरा अर्थ दिया जाना चाहिए और जब कानून किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक के रूप में लेने का निर्देश देता है, तो उसी से उत्पन्न होने वाले परिणामों और घटनाओं की वास्तविक के रूप में भी कल्पना की जानी चाहिए।संदर्भ दिया गया है कि

/

ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड निर्णय फिन्सबरी बरो

परिषद 3 जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः“...यदि किसी को किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए कहा जाता है, तो किसी को निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, उन परिणामों और घटनाओं की वास्तविक रूप से कल्पना भी करनी चाहिए, जो, यदि अनुमानित स्थिति वास्तव में मौजूद थी, तो अनिवार्य रूप से उससे उत्पन्न हुई होगी या उसके साथ हुई होगी।इस मामले में इनमें से एक 1939 के किराए के स्तर से मुक्ति है।कानून कहता है कि किसी को एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए।यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणाम की बात आती है तो किसी को अपनी कल्पना को चौंका देना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए। "

/

/

हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा उपरोक्त टिप्पणियाँ की गई हैं

/

आयकर आयुक्त बनाम एस. तेजा सिंह 4 मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित।

मद्रास उच्च न्यायालय 5 और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 6 ने

3 1951 (2) सभी ई. आर. 587

4 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 352

5 ऊथमराम बनाम के. एम. अब्दुल कासिम कंपनी, ए. आई. आर. 1964 मैड 221 6 लखपत राय शर्मा बनाम आत्मा सिंह, ए. आई. आर. (58) 1971 पी एंड एच 476 ए

/

503

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

यह विचार रखा गया कि विदेशी डिक्री को भारत में निष्पादित किया जाना चाहिए जैसे कि इसे किसी भारतीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो और कानूनी कल्पना को इसके तार्किक अंत तक बढ़ाया जाना चाहिए।इसलिए, विदेशी डिक्री को पारित होने की तारीख को एक भारतीय डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए।हालाँकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लखपत राय शर्मा (ऊपर) में निर्णय दिया कि यदि डिक्री के निष्पादन के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है और इस तरह के निष्पादन के लिए कोई कदम निर्धारित सीमा पर या उससे पहले भारतीय अदालत में नहीं उठाया जाता है, तो निष्पादन याचिका को इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि यह समय की पाबंदी है।इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विदेशी न्यायालय को दिए गए असंतोष के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को एक कदम-सहायता माना जाना चाहिए और सीमा की अवधि की गणना करते समय इसे बाहर रखा जाना चाहिए।19. क्या धारा 44 ए डीमिंग प्रावधान के विस्तार से सीमा की एक नई अवधि पैदा करती है?.हमारे विचार में, धारा 44 ए केवल एक सक्षम प्रावधान है जो जिला न्यायालय को डिक्री को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है जैसे कि डिक्री किसी भारतीय अदालत द्वारा पारित की गई हो और यह सीमा की अवधि से संबंधित नहीं है।धारा 44 ए का एक सादा पाठ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह केवल जिला न्यायालय को विदेशी डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार देता है जैसे कि इसे उक्त जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।इसमें यह भी प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 47, डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की तारीख से लागू होगी।धारा 47 एक डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है।डिक्री का निष्पादन सी. पी. सी. के आदेश 21 के अंतर्गत नियंत्रित होता है और इसलिए, अधिनियम की धारा 47 और सी. पी. सी. के आदेश 21 के प्रावधान लागू होंगे।हमारे सुविचारित विचार में, धारा 44 ए का सीमा से कोई लेना-देना नहीं है।

/

/

/

/

20. धारा 44-ए स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि प्रमाणित प्रति और प्रमाण पत्र दाखिल करने के बाद ही धारा 47 सी. पी. सी. का प्रावधान लागू होगा।यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह धारा केवल जिला न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है।हालाँकि हम शेख अली (ऊपर) में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन धारा 44 ए के अंतर्गत आवेदन दायर करने पर यह सीमा शुरू हो जाएगी, हम केवल निम्नलिखित टिप्पणियों को स्वीकार करते हैं:

/

"(19) अपने निष्कर्षों के सारांश में, हमारा विचार है कि धारा 44-ए (1) निष्पादन की शक्तियों और तरीके तक ही सीमित है और इसका सीमा विधि से कोई लेना-देना नहीं है।उप-धारा द्वारा बनाई गई कल्पना आगे नहीं जाती है और सभी उद्देश्यों के लिए नहीं है, लेकिन जिला न्यायालय द्वारा विदेशी निर्णयों के निष्पादन को आकर्षित करने और लागू करने के लिए डिज़ाइन की गई है, बिना किसी सीमा के संदर्भ में, निष्पादन की अपनी शक्तियों और उसके फरमानों के संबंध में इसके तरीके।

/

/

21. हमारे विचार में धारा 44 ए केवल जिला न्यायालय को डिक्री को निष्पादित करने में सक्षम बनाती है और आगे यह प्रावधान करती है कि जिला न्यायालय उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो वह भारतीय डिक्री को निष्पादित करते समय करता है, लेकिन यह ऐसी निष्पादन याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित या इंगित नहीं करता है।हम तदनुसार प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हैं।

प्रश्न संख्या **2**

/

22. अधिनियम के अनुच्छेद 136 और 137 इस प्रकार हैं:

अनुच्छेद **136,** सीमा अधिनियम**, 1963:**

किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री (अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान करने वाली डिक्री के अलावा) या आदेश के निष्पादन के लिए।	बारह वर्ष	जब डिक्री या आदेश लागू करने योग्य हो जाता है या जहां डिक्री या कोई बाद का आदेश किसी निश्चित तिथि पर या आवर्ती अवधि में किए जाने वाले धन के भुगतान या किसी संपत्ति के वितरण का निर्देश देता है, जब भुगतान या वितरण करने में चूक होती है जिसके संबंध में निष्पादन की मांग की जाती है, तो होता है: बशर्ते कि स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाली डिक्री के प्रवर्तन या निष्पादन के लिए आवेदन किसी भी सीमा की अवधि के अधीन नहीं होगा।

/

/

/

/

अनुच्छेद **137,** सीमा अधिनियम**, 1963:**

कोई अन्य आवेदन जिसके लिए इस प्रभाग में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है।	तीन साल	जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है।

/

23. यदि हम मानते हैं कि अनुच्छेद 136 लागू होना है तो किसी भी विदेशी डिक्री के मामले में सीमा की अवधि 12 वर्ष होगी, भले ही उस देश में सीमा लागू हो जहां डिक्री पारित की गई थी, यानी कारण देश।यदि डिक्री को किसी अन्य ए में निष्पादित किया जाना है

/

505

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

क्षेत्राधिकार, अर्थात, मंच देश, कौन सा विधि लागू होना चाहिए?क्या कारण देश या मंच देश में लागू सीमा का विधि लागू होगा?

24. कारण देश और मंच देश के बीच कानूनों के टकराव का मुद्दा भी है।जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह विवादित नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम के 1980 के सीमा अधिनियम की धारा 24 के संदर्भ में इंग्लैंड में एक डिक्री को निष्पादित करने की सीमा 6 साल है।इंग्लैंड के सिविल प्रक्रिया नियमों के नियम 40.7 में प्रावधान है कि कोई निर्णय या आदेश दिए जाने या दिए जाने की तारीख या ऐसी बाद की तारीख से प्रभावी होता है जो न्यायालय निर्दिष्ट करे।इसलिए डिक्री उस तारीख को लागू हो जाती है जब इसे पारित किया गया था और जहां तक इस मामले का संबंध है, डिक्री के पारित होने की तारीख 20.02.1995 है।यदि सीमा 6 वर्ष है तो स्पष्ट रूप से निष्पादन याचिका 20.02.2001 पर या उससे पहले दायर की जानी चाहिए थी और यदि अधिनियम की धारा 136 के संदर्भ में सीमा 12 वर्ष थी, तो निष्पादन याचिका अभी भी सीमा से बाधित होगी क्योंकि निष्पादन याचिका 2009 में दायर की गई थी।

/

/

/

25. दुनिया भर में लोगों के बीच बातचीत और परस्पर क्रिया बढ़ रही है।अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदे किए जा रहे हैं।कला, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्रों में विचारों का आदान-प्रदान बढ़ रहा है। दुनिया भर में सामान ऑनलाइन बेचे जाते हैं।ये सभी मुकदमेबाजी का कारण बन सकते हैं, जिसका कारण एक देश में हो सकता है, लेकिन निर्णय देनदार के पास उस कारण वाले देश में कोई संपत्ति नहीं हो सकती है और डिक्री धारक को डिक्री का लाभ उठाने के लिए दूसरे देश (मंच देश) जाना होगा।

/

26. पहले का विचार यह था कि सीमा का विधि एक प्रक्रियात्मक विधि होने के कारण, मंच देश का विधि इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा।यह 'कानूनों के टकराव', 6 वें संस्करण 7 में डाइसी की टिप्पणियों में परिलक्षित होता है, जहां इसे इस प्रकार कहा गया है:

/

"हालाँकि, यह निश्चित है कि प्रक्रिया से संबंधित सभी मामले इंग्लैंड के विधि द्वारा शासित एक अंग्रेजी न्यायालय में हैं, यह समान रूप से स्पष्ट है कि जो कुछ भी पक्ष के अधिकारों के सार में जाता है और प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, वह मामले के लिए उपयुक्त विधि द्वारा शासित होता है।

/

हमारा शासन स्पष्ट और अच्छी तरह से स्थापित है।किसी मामले में इसके आवेदन की कठिनाई मामलों के बीच भेदभाव करने में निहित है।

7 जे. एच. सी. मॉरिस आदि।अल।, (), "डाइसीज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ लॉज़", 6 वीं संस्करण, स्टीवंस एंड संस लिमिटेड, स्वीट एंड मैक्सवेल लिमिटेड, पीपी।860-861 (1949).

/

जो प्रक्रिया और मामलों से संबंधित हैं जो पक्षों के मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं।इस प्रश्न के निर्धारण में दो बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-(1) अंग्रेजी वकील 'प्रक्रिया' शब्द के अर्थ को व्यापक संभव विस्तार देते हैं।अभिव्यक्ति, जैसा कि हमारे न्यायाधीशों द्वारा व्याख्या की गई है, में सभी कानूनी उपचार और एक अधिकार के प्रवर्तन से जुड़ी हर चीज शामिल है।इसलिए, इसमें व्यवहार का पूरा क्षेत्र शामिल है; इसमें साक्ष्य के पूरे विधि के साथ-साथ किसी कार्रवाई की सीमा या किसी अधिकार को लागू करने के लिए किसी अन्य विधि ी कार्यवाही के संबंध में प्रत्येक

नियम शामिल है, और इसलिए इसमें आगे वे तरीके शामिल हैं, जैसे कि माल की प्रश्न या व्यक्ति की गिरफ्तारी, जिसके द्वारा निर्णय लागू किया जा सकता है।" XXX

/

/

XXX

XXX

मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उथमराम बनाम के. एम. अब्दुल कासिम कंपनी 8 के मामले में इसी तरह के दृष्टिकोण पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि मंच देश की सीमा का विधि लागू होगा।27. भारतीय न्यायालयों ने आम तौर पर यह विचार रखा है कि सीमा का विधि एक प्रक्रियात्मक विधि है।हम यह इंगित कर सकते हैं कि डाइसी के 'कानूनों के टकराव' के 14 वें संस्करण 9 में लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है।वर्तमान सोच यह प्रतीत होती है कि सीमा का विधि प्रक्रियात्मक नहीं है, विशेष रूप से जब यह अधिकारों या उपचारों को समाप्त करने की ओर ले जाता है।इसलिए, इसे प्रक्रियात्मक विधि नहीं कहा जा सकता है।

/

/

28. इस स्तर पर हम डाइसी के कानूनों के टकराव 14 वीं संस्करण का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित शब्दों में इस परिवर्तन को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:- "ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में निर्णयों द्वारा पारंपरिक दृष्टिकोण को कुछ संदेह में डाल दिया गया है।जॉन फाइफर पीटीवाई लिमिटेड बनाम रोजर्सन में, ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने संकेत दिया (आज्ञाकारी) कि, सामान्य विधि में, सीमा के क़ानून प्रक्रियात्मक के बजाय मूल हैं।टोलोफसन बनाम जेनसन में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा के विधि ों के पारंपरिक सामान्य विधि वर्गीकरण और अधिकार और उपचार के बीच के अंतर को खारिज कर दिया, जिस पर यह आधारित है और यह अभिनिर्धारित किया कि सीमा के विधि ों को मूल के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।कैस्टिलो बनाम कैस्टिलो में इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी।उच्चतम न्यायालय ने एक वर्ष की सीमा अवधि लागू की

/

/

8 एयर 1964 मैड 221

9 सर लॉरेंस कॉलिन्स आदि।अल।, "डायसी, मॉरिस, और कॉलिन्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, "14 वीं संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल पीपी. 198-199 (2006)।

/

507

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

/

अपकृत्य पर लागू विधि के अंतर्गत , कैलिफोर्निया विधि , अल्बर्टा विधि के एक प्रावधान के बावजूद, जिसमें प्रावधान किया गया था कि अल्बर्टा सीमा विधि (जिसकी दो साल की अवधि थी) लागू होना चाहिए "इसके बावजूद, विधि नियमों के टकराव के अनुसार, दावे पर किसी अन्य क्षेत्राधिकार के मूल विधि के अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा।" कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने माना कि इस प्रावधान का कोई आवेदन नहीं था क्योंकि जब कार्रवाई की गई थी तो दावा पहले से ही समय-बाधित था। "

/

इंग्लैंड के संबंध में भी यह देखा गया थाः-

"विदेशी सीमा अवधि अधिनियम 1984 के तहत।यह अधिनियम विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।यह सामान्य सिद्धांत को अपनाता है, सार्वजनिक नीति पर आधारित एक अपवाद के अधीन, कि लेक्स कौसे के सीमा नियम इंग्लैंड में कार्यों में लागू किए जाने हैं, भले ही वे नियम दावे के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित न करें।अंग्रेजी सीमा नियमों को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अंग्रेजी विधि लेक्स कौसे या मामले को नियंत्रित करने वाले दो विधि ों में से एक न हो। "

/

/

29. दृष्टिकोण में इस बदलाव को अन्य लेखकों के कार्यों में भी देखा जा सकता है।चेशायर एंड नॉर्थ के निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि (10 वीं संस्करण) में यह देखा जा सकता है कि पुराने नियमों के अनुसार, अंग्रेजी विधि की सीमा लागू होगी।इसलिए इंग्लैंड में एक दावे की अनुज्ञात जाएगी यदि यह उसके विधि ों में निर्धारित सीमा अवधि के भीतर आता है, भले ही कार्रवाई प्रश्न लेनदेन/अनुबंध/विवाद पर लागू विदेशी विधि के अनुसार समय-वर्जित थी।हालाँकि, इसने विभिन्न मुद्दों को उठाया जिन्हें भी उजागर किया गया।निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लेख करना उचित होगाः-

/

"(I) वह समय जिसके भीतर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।

/

अंग्रेजी विधि दुर्भाग्य से इस दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है कि सीमा के क़ानून, यदि वे केवल एक निश्चित समय निर्दिष्ट करते हैं जिसके बाद अधिकारों को कार्रवाई द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, न कि सार।यह कहा जाता है कि वे कारण के गुणों के बारे में नहीं, बल्कि उस तरीके से चिंतित हैं जिसमें उपचार को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।वे आदेश देते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया केवल तभी उपलब्ध होती है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के बाद एक निश्चित समय के भीतर शुरू की जाती है।नतीजतन, इसलिए, लेक्स फोरी में प्राप्त सीमा के किसी भी प्रासंगिक क़ानून का अनुरोध किया जा सकता है, जबकि किसी विदेशी विधि के क़ानून की, भले ही वह लेन-देन के उचित विधि से संबंधित हो, अवहेलना की जानी चाहिए।

/

/

XXX

XXX

XXX

508

/

[2020] 5 एस सी आर।

हालाँकि, इस मामले पर अंग्रेजी निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम, लेनदेन के उचित विधि पर बहुत कम ध्यान देते हैं जो जारी है।इस प्रकार आर. ओ. सी. एच. ई., जे. द्वारा एक निर्णय की रिपोर्ट में कहा गया है:"हो सकता है कि विदेशी अदालतों ने फैसला किया हो कि सीमा के विधि मूल विधि का हिस्सा थे, लेकिन वह उन्हें इस तरह से लागू करने में असमर्थ थे।" इस मनोवृत्ति का परिणाम दोगुना होता है।

/

सबसे पहले, इंग्लैंड में लाई गई कार्रवाई के लिए सीमा का एक अंग्रेजी क़ानून एक अच्छा विचार याचिका है, इसके बावजूद कि कार्रवाई अभी भी लेनदेन के उचित विधि के अनुसार बनाए रखने योग्य है।XXX

XXX

XXX

/

दूसरा, लेन-देन के उचित विधि द्वारा कार्रवाई के अधिकार का विलुप्त होना इंग्लैंड में किसी कार्रवाई के लिए बाधा नहीं है।दूसरे शब्दों में, यदि विदेश की तुलना में इंग्लैंड में अनुमेय अवधि अधिक लंबी है, तो वादी को अपनी कार्रवाई जारी रखने की स्वतंत्रता है।30. चेशायर एंड नॉर्थ के निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि (15 वां संस्करण) में यह उल्लेख किया गया है कि उस देश में लागू सीमा विधि को लागू करने का यह परिवर्तन, जिसका विधि लेनदेन/अनुबंध/विवाद पर लागू होता है, स्वागत योग्य था।निम्नलिखित परिच्छेद प्रासंगिक हैं:- "(क) 1984 तक जिस समय के भीतर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, अंग्रेजी विधि इस दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध था कि सीमा के क़ानून, यदि वे केवल एक निश्चित समय निर्दिष्ट करते हैं जिसके बाद अधिकारों को अधिनियम द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो प्रभावित प्रक्रिया और सार नहीं।इसका मतलब था कि सीमा अंग्रेजी विधि द्वारा शासित थी, क्योंकि मंच का विधि , और लागू विधि के किसी भी सीमा प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया गया था।हालाँकि, जहाँ यह दिखाया जा सकता है कि विदेशी लागू विधि की सीमा के क़ानून का प्रभाव केवल वादी के उपचार को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि उसके कार्रवाई के कारण को समाप्त करने के लिए भी था, तब अंग्रेजी अदालतें विदेशी शासन को मूल मानने और इंग्लैंड में लागू करने के लिए तैयार होंगी।सामान्य विधि नियम, जिसकी कई सामान्य विधि क्षेत्राधिकारों में आलोचना की गई है, का नागरिक विधि देशों में कोई समकक्ष नहीं है जो आमतौर पर सीमाओं के विधि ों को मूल मानते हैं।इसके अलावा, अनुबंध (लागू विधि) अधिनियम 1990, संविदात्मक दायित्वों (1980) के लिए लागू विधि पर यूरोपीय समुदाय सम्मेलन को लागू करते हुए, यह प्रदान करता है कि जो विधि किसी अनुबंध की आवश्यक वैधता को नियंत्रित करता है, वह "दायित्वों को समाप्त करने के विभिन्न तरीकों" को नियंत्रित करता है, और ए

/

/

/

/

/

509

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

प्रिस्क्रिप्शन और कार्यों की सीमा "।1982 में विधि आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि "वर्तमान अंग्रेजी शासन में सुधार के लिए एक स्पष्ट मामला है" और उनकी सिफारिशों ने विदेशी सीमा अवधि अधिनियम 1984 का आधार बनाया।

1984 के अधिनियम का सामान्य सिद्धांत सामान्य विधि दृष्टिकोण को छोड़ देता है जो सीमा के घरेलू विधि के अनुप्रयोग का समर्थन करता है।इसके बजाय, अंग्रेजी न्यायालय को उस विधि को लागू करना है जो विधि नियमों की अंग्रेजी पसंद के अनुसार मूल मुद्दे को नियंत्रित करता है, और यह नया दृष्टिकोण इंग्लैंड में कार्यों और मध्यस्थता दोनों पर लागू होता है।मानहानि जैसे कुछ अपकृत्य दावों के मामले में, जिनके लिए विधि नियमों का सामान्य विधि विकल्प अभी भी लागू होता है, अंग्रेजी विधि , मंच के विधि के रूप में, विधि नियम के चयन के कारण प्रासंगिक रहेगा, जिसके लिए मंच के विधि और अपकृत्य के स्थान के विधि दोनों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता होती है।मुख्य नियम का परिणाम यह है कि अंग्रेजी विधि अब स्वचालित रूप से लागू नहीं होता है। बेशक, एक नियम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसके अंतर्गत एक दावे को इंग्लैंड में प्रतिबंधित क़ानून माना जाना है, अगर क़ानून शासी विधि के अंतर्गत वर्जित है, एक सुधार जिसका व्यापक रूप से स्वागत किया जाता है, और एक और नियम है कि, अगर दावा विदेश में वर्जित क़ानून नहीं है, तो इसे इंग्लैंड में आगे बढ़ने की अनुज्ञात जानी चाहिए। "

/

/

/

31. सामान्य विधि के अंतर्गत पुरानी स्थिति यह थी कि सीमा को एक प्रक्रियात्मक विधि के रूप में माना जाता था।नागरिक अधिकार क्षेत्र का पालन करने वाले देशों में, सीमा विधि को कभी भी एक प्रक्रियात्मक विधि के रूप में नहीं बल्कि एक मूल विधि के रूप में माना गया है।हाल के वर्षों में, लगभग सभी सामान्य विधि देशों ने या तो एक नया विधि लाया है या न्यायिक निर्णयों द्वारा अब यह विचार लिया है कि सीमा के विधि को विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक विधि के रूप में नहीं माना जा सकता है।हम यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि का संदर्भ दे सकते हैं।

/

/

32. यूनाइटेड किंगडम पर लागू विदेशी सीमा अवधि अधिनियम, 1984 की धारा 1 इस प्रकार हैः

“ विदेशी सीमा विधि का अनुप्रयोग।

/

1. – (1) इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां इंग्लैंड और वेल्स के किसी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही में किसी अन्य देश का विधि (ऐसे किसी न्यायालय द्वारा लागू निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार) किसी भी मामले के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है -

/

(क) सीमा से संबंधित उस अन्य देश की विधि उस मामले के संबंध में धारा 1 क और 1 ख के अधीन कार्रवाई या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए लागू होगी; और

(ख) सिवाय इसके कि जहां वह मामला नीचे दी गई उप-धारा (2) के अंतर्गत आता है, इंग्लैंड और वेल्स की सीमा से संबंधित विधि इस प्रकार लागू नहीं होगी।

/

(2) एक मामला इस उप-धारा के अंतर्गत आता है यदि यह एक ऐसा मामला है जिसके निर्धारण में इंग्लैंड और वेल्स की विधि और किसी अन्य देश की विधि दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। (3) इंग्लैंड और वेल्स की विधि उप-धारा (1) (ए) के आधार पर लागू किसी भी विधि के प्रयोजनों के लिए निर्धारित करेगी कि क्या, और जिस समय पर, किसी मामले के संबंध में कार्यवाही शुरू की गई है; और, तदनुसार, सीमा अधिनियम 1980 की धारा 35 (लंबित कार्यवाही में नए दावे) उपरोक्त उप-धारा (1) (ए) के आधार पर लागू समय सीमाओं के संबंध में लागू होगी क्योंकि यह उस अधिनियम के अंतर्गत समय सीमाओं के संबंध में लागू होती है।

/

/

(4) इंग्लैंड और वेल्स में कोई विधि , किसी अन्य देश की विधि द्वारा प्रदत्त किसी विवेकाधिकार से ऊपर उप-धारा (1) (ए) के अनुसरण में प्रयोग करते हुए, जहां तक व्यवहार्य हो, उस विवेकाधिकार का प्रयोग उस तरीके से करेगा जिसमें उस अन्य देश के विधि ों द्वारा तुलनीय मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है।

/

(5) इस धारा में किसी भी देश के संबंध में "विधि " में उस देश के न्यायालयों द्वारा या इंग्लैंड और वेल्स के मामले में लागू निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम शामिल नहीं होंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों ने समान राज्य कानूनों पर आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा विकसित यूनिफॉर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़ लिमिटेशन एक्ट, 1982 को अपनाया है।इस अधिनियम की धारा 2 और 3 निम्नानुसार हैः

/

"खंड 2:(क) धारा 4 द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा, यदि कोई दावा मूल रूप से आधारित है:

/

(1) एक अन्य राज्य के विधि पर, उस राज्य की सीमा अवधि लागू होती है; या

(2) एक से अधिक राज्यों के विधि पर, इस राज्य के विधि ों के टकराव के विधि द्वारा चुने गए राज्यों में से एक की सीमा अवधि लागू होती है।

/

511

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

/

(ख) इस राज्य की सीमा अवधि अन्य सभी दावों पर लागू होती है।" "भाग 3:यदि किसी अन्य राज्य की सीमाओं का क़ानून इस राज्य में किसी दावे के दावे पर लागू होता है, तो अन्य राज्यों के प्रासंगिक क़ानून और टोलिंग और संचय को नियंत्रित करने वाले विधि के अन्य नियम सीमा अवधि की गणना में लागू होते हैं, लेकिन इसके क़ानून और विधि ों के टकराव को नियंत्रित करने वाले विधि के अन्य नियम लागू नहीं होते हैं। "33. दुनिया भर में यह विचार प्रतीत होता है कि कारण देश के सीमा विधि को मंच देश में भी लागू किया जाना चाहिए।इसके अलावा, हमारा विचार है कि उन मामलों में जहां कारण देश में उपचार समाप्त हो जाता है, यह डिक्री-धारक के डिक्री को निष्पादित करने के अधिकार को वस्तुतः समाप्त कर देता है और डिक्री के निष्पादन को चुनौती देने के लिए निर्णय देनदार में एक संबंधित अधिकार पैदा करता है।ये मूल अधिकार हैं और इन्हें प्रक्रियात्मक नहीं कहा जा सकता है।जैसा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी बन गया है, यह उन कुछ देशों में से एक नहीं हो सकता है जहां सीमा के विधि को पूरी तरह से प्रक्रियात्मक माना जाता है।

/

/

/

34. हम पहले ही स्पष्ट रूप से संकेत दे चुके हैं कि यदि किसी मंच देश का विधि किसी विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए निर्धारित सीमा के संबंध में चुप है तो कारण देश की सीमा लागू होगी। 35. हम प्रश्न नहीं का जवाब देते हैं। 2 यह अभिनिर्धारित करते हुए कि भारत में एक विदेशी न्यायालय (पारस्परिक देश से) द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने के लिए सीमा अवधि

पारस्परिक देश में निर्धारित सीमा होगी।जाहिर है कि यह सी. पी. सी. की धारा 13 के संदर्भ में निष्पादन योग्य डिक्री के अधीन होगा।

/

प्रश्न संख्या **3**

/

36. तीसरे प्रश्न पर आते हुए, जहाँ तक अधिनियम के अनुच्छेद 136 का संबंध है, हमारा विचार है कि यह केवल भारतीय न्यायालयों द्वारा पारित फरमानों से संबंधित है।सीमा अधिनियम मुख्य विरचित से भारतीय अदालतों में दायर किए जाने वाले मुकदमों, अपीलों और आवेदनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और जहां भी भारत के बाहर किसी चीज़ से निपटने की आवश्यकता महसूस की गई, सीमा अधिनियम विशेष विरचित से उस स्थिति से संबंधित है।हम अधिनियम के अनुच्छेद 39 का उल्लेख कर सकते हैं जो विशेष रूप से अपमानित विदेशी बिलों से संबंधित है। अधिनियम का अनुच्छेद 101 विदेशी निर्णय सहित किसी निर्णय पर दायर किए गए मुकदमों से संबंधित है।अधिनियम के निर्माताओं ने विशेष रूप से इस अनुसूची के अनुच्छेद 101 में 'एक विदेशी निर्णय सहित' का उल्लेख किया है जो अधिनियम का हिस्सा है।

/

/

37. फरमानों के निष्पादन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय विधि निर्माता आसानी से 'विदेशी फरमानों सहित' कह सकते थे।यह नहीं कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा था कि अनुच्छेद 136 भारतीय अदालतों के फरमानों तक ही सीमित रहेगा।इसके अलावा, अनुच्छेद 136 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डिक्री या आदेश दीवानी न्यायालय का होना चाहिए। जैसा कि भारत में परिभाषित किया गया है, एक दीवानी न्यायालय विदेशी क्षेत्राधिकार के समान नहीं हो सकती है।हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि नया सीमा अधिनियम 1963 में अधिनियमित किया गया था और संभवतः विधि निर्माता सी. पी. सी. की धारा 44 ए के प्रावधानों से अवगत थे। जब वे इस पहलू पर चुप रहे, तो केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुच्छेद 136 केवल भारतीय दीवानी अदालतों द्वारा पारित फरमानों से संबंधित है।38. ऐसा कहने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि धारा 44 ए के अंतर्गत आवेदन दायर करने की अवधि के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।इस संबंध में, जब हम धारा 44 ए की उप-

धारा (1) और उप-धारा (2) को एक साथ पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि जो दाखिल करने की आवश्यकता है, वह उप-धारा (1) के संदर्भ में डिक्री की एक प्रमाणित प्रति है और साथ ही उस देश के न्यायालय से एक प्रमाण पत्र भी है, जिसमें यह बताया गया है कि डिक्री किस हद तक संतुष्ट या समायोजित की गई है।ये दोहरी आवश्यकताएँ हैं और जब तक दोनों आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक कोई विदेशी डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है।न केवल डिक्री की प्रमाणित प्रति बल्कि उप-धारा (2) के संदर्भ में प्रमाण पत्र भी दाखिल करना आवश्यक है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ और दाखिल नहीं करना है।एकमात्र अनुमान यह है कि इन दस्तावेजों को दाखिल करने के बाद ही डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है।निष्पादन न्यायालय इस डिक्री और प्रमाण पत्र को तब तक निष्पादित नहीं कर सकती जब तक कि डिक्री धारक भारत में निर्णय देनदार यानी उसके पते आदि के विभिन्न विवरण और निर्णय देनदार की संपत्ति का विवरण भी प्रदान नहीं करता है।ये विवरण सी. पी. सी. के आदेश 21 के नियम 11 के खंड (2) के संदर्भ में दायर एक लिखित आवेदन द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए जो निम्नानुसार हैः(2) लिखित आवेदन।– उप-नियम (1) द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने को छोड़कर, डिक्री के निष्पादन के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में होगा, आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा जो मामले के तथ्यों से परिचित होने के लिए न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हुआ है, और एक सारणीबद्ध रूप में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात्ः-

/

/

/

/

/

/

/

(क) सूट की संख्या;

((ख) पक्षों के नाम;

/

((ग) आदेश की तिथि;

(घ) क्या डिक्री में से कोई अपील की गई है; (ङ) क्या विवाद में मामले का कोई, और (यदि कोई हो) क्या, भुगतान या अन्य समायोजन पक्षकारों के बीच डिक्री के बाद किया गया है;

/

(च) डिक्री के निष्पादन के लिए क्या कोई और (यदि कोई हो) क्या पिछले आवेदन किए गए हैं, ऐसे आवेदनों की तारीखें और उनके परिणाम;

(छ) डिक्री पर देय ब्याज (यदि कोई हो) के साथ राशि, या इसके द्वारा दी गई अन्य राहत, किसी भी प्रति-डिक्री के विवरण के साथ, चाहे वह डिक्री के निष्पादन की तारीख से पहले या बाद में पारित की गई हो;

/

(ज) दी गई लागत (यदि कोई हो) की राशि;

((i) उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध डिक्री के निष्पादन की मांग की गई है; और

/

(जे) वह तरीका जिसमें न्यायालय की सहायता की आवश्यकता है, चाहे -

((i) किसी विशेष रूप से घोषित संपत्ति के वितरण द्वारा; (ii) किसी संपत्ति की कुर्की द्वारा, या कुर्की और बिक्री द्वारा, या बिना कुर्की के बिक्री द्वारा;

/

((iii) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और जेल में निरोध द्वारा; (iv) प्राप्तकर्ता की नियुक्ति द्वारा;

(v) अन्यथा, जैसा कि दी गई राहत की प्रकृति की आवश्यकता हो सकती है।39. इसलिए, विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए याचिका दायर करने वाले पक्ष को भी आवश्यक रूप से आदेश 21 नियम 11 खंड (2) के संदर्भ में एक लिखित आवेदन दायर करना चाहिए।इस तरह के आवेदन के बिना न्यायालय के लिए डिक्री को निष्पादित करना असंभव होगा।इसलिए, हमारी राय में, एक विदेशी डिक्री को निष्पादित करने के लिए यह आवेदन एक ऐसा आवेदन होगा जो सीमा अधिनियम के किसी अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है और इस प्रकार यह सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है और लागू सीमा 3 साल की होगी।

/

/

40. फिर प्रश्न यह उठता है कि सीमा किस तारीख से शुरू होती है।हम केवल 2 स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं।पहली स्थिति

/

514

/

[2020] 5 एस सी आर।

वह है जहां डिक्री धारक उस देश में डिक्री के निष्पादन के लिए कारण देश में निर्धारित सीमा की अवधि के दौरान डिक्री के निष्पादन के लिए कोई कदम नहीं उठाता है।ऐसे मामले में उसने उस देश में डिक्री को निष्पादित करने का अपना अधिकार खो दिया है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।यह न्याय का उपहास होगा यदि कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने का अपना अधिकार खोने वाले व्यक्ति को एक मंच देश में डिक्री को निष्पादित करने की अनुमति दी जाती है।यह उस सिद्धांत के खिलाफ होगा जिसे हमने स्वीकार किया है, कि सीमा का विधि केवल एक प्रक्रियात्मक विधि नहीं है।इसका मतलब यह होगा कि एक व्यक्ति जिसने न्यायालय में विदेशी डिक्री को निष्पादित करने का अपना अधिकार या उपाय खो दिया है, जहां डिक्री पारित की गई थी, वह सीमा की अवधि बढ़ाने के लिए भारतीय विधि के प्रावधानों का लाभ उठा सकता है।वर्तमान मामले के तथ्यों में, भारत में धन डिक्री को निष्पादित करने की सीमा 12 वर्ष है जबकि इंग्लैंड में यह 6 वर्ष है। ऐसे देश हो सकते हैं जहां इस तरह के आदेश को लागू करने की सीमा 12 साल से अधिक हो सकती है।बाद की स्थिति में वादी का अधिकार 12 साल में समाप्त नहीं होगा और यह उस कारण देश के सीमा विधि का पालन करेगा जिसने डिक्री पारित की थी।इसलिए, कारण देश में डिक्री पारित होने की तारीख से सीमा लागू होनी शुरू हो जाएगी और मंच देश में निर्धारित सीमा की अवधि लागू नहीं होगी।यदि डिक्री धारक कारण के देश में निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है, तो वह मंच देश में नहीं आ सकता है और कार्रवाई के नए कारण का अनुरोध नहीं कर सकता है या अनुरोध नहीं कर सकता है कि सीमा

/

/

/

/

फोरम देश को आवेदन करना चाहिए।

41. दूसरी स्थिति तब होती है जब एक डिक्री धारक कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम उठाता है।निष्पादन की कार्यवाही कुछ समय के लिए चल सकती है, और डिक्री को आंशिक रूप से संतुष्ट किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं।निर्णय देनदार के पास डिक्री

आदि को संतुष्ट करने के लिए कारण देश में पर्याप्त संपत्ति या धन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा?हमारे सुविचारित विचार में, ऐसी परिस्थितियों में धारा 44 ए के अंतर्गत आवेदन करने का अधिकार केवल कारण देश में निष्पादन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के बाद प्राप्त होगा और सीपीसी की धारा 44 ए के अंतर्गत आवेदन अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा निर्धारित कारण देश में निष्पादन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के 3 साल के भीतर दायर किया जा सकता है। डिक्री धारक को 3 साल की इस अवधि के भीतर डिक्री की प्रमाणित प्रति और आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ भारतीय न्यायालय से संपर्क करना चाहिए।

/

/

42. यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश की प्रमाणित प्रति या आंशिक संतुष्टि प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के लिए कारण देश में आवेदन करना।

/

डिक्री, जैसा कि धारा 44 ए द्वारा आवश्यक है, कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम उठाने के समान नहीं होगी।

43. हम तदनुसार तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं और मानते हैं कि सीमा की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब एक पारस्परिक देश के विदेशी न्यायालय में डिक्री पारित की गई थी।हालाँकि, यदि डिक्री धारक पहले कारण देश में डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम उठाता है, और डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है, तो वह अंतिम रूप देने से 3 साल की अवधि के भीतर भारत में निष्पादन के लिए याचिका दायर कर सकता है।

/

44. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम अपील को खारिज करते हैं और नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के आदेशों को बरकरार रखते हैं, हालांकि अलग-अलग कारणों से।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

/

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/

/

/

/